कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

आदेश

02 नि॰/स्था॰ अनु॰ (प्रो॰) (13) – 02/2011

वित्त विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या 7566 दिनांक 14.07.2010 के द्वारा अधिसूचित रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के प्रावधानों तथा वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2937 दिनांक 31.03.2011, संकल्प संख्या 3972 दिनांक 12.05.2016 तथा संकल्प संख्या 7577 दिनांक 23.09.2016 के तहत् सहकारिता विभाग के निदेशालय के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित निम्नांकित कार्यालय परिचारी को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 05.07.2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही कंडिका–6(i) द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार दिनांक 01.01.2009 तक अथवा उसके बाद 10, 20 एवं 30 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि के प्रभाव से सम्बन्धित कॉलम में अंकित ग्रेड वेतन में प्रथम/द्वितीय/तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी जाती है :–

क्र॰ सं॰	नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति की तिथि	वित्तीय उन्नयन की तिथि/ग्रेड पे प्रथम	द्वितीय	तृतीय	अभ्युक्ति
	3	4	5	7	8	9	10
1	श्री बिनोद कुमार सिंह	07.01.60	18.02.86	X	X	18.02.16 2400/–	
2	श्रीमती प्रेमशीला देवी	01.01.60	30.07.86	X	X	30.07.16 2000/–	
3	श्री जयलाल पासवान,(से॰नि॰)	05.01.54	27.02.82	X	X	27.02.12 2800/–	
4	श्री कृपाशंकर राम	05.07.58	13.03.82	X	X	13.03.2012 2800/–	
5	श्री नागा साह	25.09.61	09.01.86	X	X	09.01.2016 2000/–	
6	श्री मो॰ खुर्शीद अख्तर	20.10.58	17.08.93	X	17.08.2013 2000/–	X	इस शर्त के साथ कि वेतन निर्धारण के पूर्व इनकी दिनांक 01.07.09 से 20.07.09 तक की सेवा नियमानुसार सत्यापित कर ली जायेगी।
7	श्री बलदेव मिश्र,(से॰नि॰)	01.07.50	01.07.72	X	X	01.01.2009 2800/–	
8	श्री ललन सिंह	02.01.62	03.09.80	X	X	03.09.2010 2800/–	
9	श्रीमती गीता देवी	06.08.56	01.08.86	X	01.01.2009 2000/–	01.08.2016 2400/–	
10	श्री ललित कुमार पासवान	11.01.61	10.01.81	X	X	10.01.2011 2800/–	
11	श्रीमती विद्या देवी	08.01.75	23.02.04	23.02.2014 1900/–	X	X	
12	श्री बैकुण्ठ सिंह	18.04.62	20.12.85	X	X	20.12.2015 2000/–	
13	श्री विरेश मिश्र	12.01.62	21.03.84	X	X	21.03.2014 2800/–	
14	श्रीमती नीलम कुमारी	02.03.68	03.03.06	03.03.2016 1800/	X	X	दि॰ 03.03.08 से सेवा सम्पुष्ट करते हुए।
15	श्री मदन मांझी	08.11.64	25.05.85	X	X	25.05.2015 2400/–	
16	श्री अशोक प्रसाद	31.12.65	01.01.87	X	X	01.01.2017 2400/–	
17	श्री सुरेश कुमार सहनी	10.11.72	11.07.96	X	11.07.2016 2000/–	X	
18	श्री रामदेव प्रसाद	03.8.58	05.09.85	X	X	05.9.2015 2400/–	
19	श्री नगीना प्रसाद यादव	12.01.63	19.02.86	X	X	19.02.2016 2400/–	

20	श्री संजय कुमार	21.3.78	14.08.06	14.8..2016 1900/–	X	X	
21	श्री व्यास मिश्र	12.02.70	30.04.97	X	30.04.17 2000/–	X	

2. उपरोक्त वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के फलस्वरुप वेतन का निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 630 दिनांक 21.01.2010 के कंडिका–12 के अनुसार किया जायेगा।

3. सभी संबंधित कार्यालय प्रधान को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सम्बन्धित सभी कार्यालय परिचारी की सेवा–पुस्त की अपने स्तर से पुनः जाँच करके संतुष्ट हो लेंगे कि इनकी सेवा संपुष्ट है तथा वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति हेतु वांछित क्रमशः 10, 20 एवं 30 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर लिए हैं। यदि जाँच के क्रम में कोई त्रुटि/विसंगति प्रकाश में आती है तो संबंधित पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे इसे विभाग की जानकारी में लायें ताकि उसका निराकरण किया जा सके। ऐसे मामलों में त्रुटि निराकरण के उपरान्त ही वेतन निर्धारण किया जाएगा। इस संदर्भ में वेतन निर्धारण उपरांत किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे।

4. वेतन निर्धारण के पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यालय परिचारी संवर्ग के संबंध में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3972 दिनांक 12.05.2016 तथा संकल्प संख्या 7577 दिनांक 23.09.2016 के अनुसार इनके वेतन के निर्धारण की कार्रवाई की जा चुकी है।

5. वित्त विभाग के पत्र संख्या 3637/वि., दिनांक 10.04.2013 के आलोक में लाभान्वित कर्मी मौलिक नियमावली के नियम–22(1)(ए)(1) के प्रावधान के तहत् वित्तीय उन्नयन की तिथि को अथवा अगली वेतनवृद्धि की तारीख को वेतन निर्धारण के संबंध में इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर विकल्प अपने कार्यालय प्रधान को दे सकेंगे। समय सीमा के अन्दर विकल्प आवेदन नहीं देने की स्थिति में वेतन निर्धारण वित्तीय उन्नयन की तिथि से किया जाएगा तथा एक बार किया गया विकल्प प्रयोग अन्तिम होगा।

6. उपर्युक्त किसी भी कार्मिक के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर सम्बन्धित कर्मी को प्रदत्त वित्तीय उन्नयन योजना का लाभ रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति/वसूली कर ली जाएगी जो सम्बन्धित कर्मी को स्वीकार्य होगा।

7. उपरोक्त आदेश में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

25/7/17

(विनोद)
सहायक निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5879 /पटना, दिनांक 25.07.17
02 नि./स्था. अनु. (प्रो.) (13) – 02/2011

प्रतिलिपि :– 1. महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंकेक्षण सहित)/प्राचार्य, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र पूसा/सभी उप मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ/सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (खादी सहित)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2 नि., 7 नि. एवं 01 नि./सभी सम्बन्धित कार्यालय परिचारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/7/17

सहायक निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

Node:5\H:\ACP Meeting\Peon\M.A.C.P. Order (Peon 2017).doc